न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश

निगरानी क्र0 R-459-II/13 सन - 2013

ज्ञानवती पत्नी श्री राजू अनुरागी निवासी ग्राम रामपुर तहसील गौरिहार जिला-छतरपुर म0प्र0 -- आवेदिका

ब ना म

मइयादीन तनय हलकांई बढ़ई निवासी ग्राम रामपुर तहसील गौरिहार जिला-छतरपुर म0प्र0

2- शासन म0प्र0 -- अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 आदेश विरूद्ध श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय जुझारनगर प्रभारी तहसील गौरिहार की राजस्व प्र0 क्र0 02/अ3 /2011-12 आदेश दिनांक 16-03-2012

मान्यवर महोदय,

आवेदिका सादर निम्न विनय करती है :-

1- यहकि भूमि आराजी नंबर 154,161/2,183/1, 184/1, 186/1 187/1, 182/1, रकबा क्रमशः 0·162, 0·040, 0·029, 0·109, 0·012 0·421, 0·483 हैक्टर स्थित मौजा रामपुर रा0नि0म0 जुझारनगर तहसील गौरिहार जिला-छतरपुर म0प्र0 की भूमि पटवारी राजस्व अभिलेख में अनावेदक के नाम पर अंकित है । एवं ख0नं0 182/3, 183/3, 184/3, 186/3, 187/3, एकत्र रकबा 0·446 हैक्टर स्थित मौजा रामपुर तहसील गौरिहार की भूमि आवेदिका के नाम पटवारी राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित है । इसी भूमियों पर अनावेदक क्रमांक एक के द्वारा गोपनीय तरीके से तरमीम का आवेदन पत्र देकर वगैर आवेदिका को सूचना दिये एवं वगैर धन्ती बेवा मुल्लू पूर्व खातेदार को सूचना दिये मूल नक्शे में पैंशाली तरमीम कराकर पुख्ता तरमीम कराने का आदेश करा लिया गया । जिसमें आवेदिका की उपजाऊ भूमि पर अनावेदक क्रमांक एक ने तरमीम करा ली है । तथा कुआं के पास जो रकबा आवेदिका ने क्रय किया है । उसको भी अनावेदक क्रमांक एक ने अपने कब्जे में

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 459–दो/2013 जिला छतरपुर

ज्ञानवती विरूद्ध मइयादीन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–3–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार जुझारनगर प्रभारी तहसील गौरिहार के नक्शा तरमीम प्रकरण कमांक 02/अ–3/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 16–3–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 6–5–2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य 07/3/19	